।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 11/2025(मैन्यूअल) 2025/20 (GCMS)

अपीलांट — रेस्पोडेंण्ट

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायसिंहपुरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर — बनाम — तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थित

1. श्री कंवराज सिंह (अधिवक्ता अपीलाण्ट)
2. पैरोकार राज (नायब तहसीलदार)

दिनांक 12.11.2025

:: निर्णय ::

अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पोकरण के द्वारा प्रकरण संख्या 31/2025 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील मे कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश बिना मांईण्ड अप्लाई किये व अपीलांट के प्रति दुर्भावना रखते हुए किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलांट को ग्राम बिलिया के खसरा नम्बर 67 में 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमी माना गया है। प्रार्थी की होटल ग्राम बिलिया के खसरा नम्बर 1868/1124 में स्थित है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा उक्त भूमि के सम्बंध में दिनांक 25.02.2025 को 3 पटवारी एवं 1 भू अभिलेख निरिक्षक के द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित पैमाईश का आदेश दिया गया था। जो अपीलांट को बिना सूचना दिये पैमाईश हुई व बिना पैमाईश बिन्दुओं को देखे की गई। उक्त की गयी पैमाईश की सूचना प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण को पुनः भूमि पैमाईश पोकरण के पूख्ता बिन्दूओं के जरिये किये जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 32/2025 अंतर्गत धारा 111, 128 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर आदेश दिनांक 01.04. 2025 पारित अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 1868/1124 में स्थगन किया जाकर पोकरण के पुख्ता पोईन्ट से पैमाईश की जाकर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.04.2025 नियत की गयी। उक्त आदेश की अनुपालना में रेस्पोडेण्ट के द्वारा आदेश क्रमांक 990 दिनांक 07.04. 2025 के द्वारा नायब तहसीलदार सांकड़ा के निर्देशन में पैमाईश टीम का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा की गयी पैमाईश में अपीलांट को उक्त भूमि का अतिक्रमी नही माना गया। उक्त रिपोर्ट रेस्पोडेण्ट के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसको नजर अंदाज कर एक तरफा आदेश दिया गया जो अपास्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त आलोच्य कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किये जाने से प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट द्वारा नोटिस दिनांक 07.04.2025 को जारी करना बताया गया जिसमें रिपोर्ट में तामील कुनिंदा ने प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से मना करना बताया। जबकि इस प्रकरण के पटवारी केलावा थे तो उनके द्वारा इन्कार करने से तामील के श्रेणी में नही आता, इसी रिपोर्ट में जमादार द्वारा नोटिस को अदम तामील मानते हुए रिपोर्ट तहसीलदार महोदय को दी गई।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

आदेशिका दिनांक 30.04.2025 में नोटिस अदम तामील का उल्लेख है व पत्रावली दिनांक 28.05.2025 को मुकरर रखी गई एवं दिनांक 28.05.2025 को अपीलांट के विरूद्ध नोटिस को तामील माना व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अतिक्रमी घोषित किया। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक को अतिक्रमित मानी गई भूमि से अपीलांट को बेदखल करने के आदेश फरमाये गये। आलोच्य आदेश गलत आधारों पर एक तरफा कार्यवाही की जाकर पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा बिना नोटिस, नकले दिये गलत कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी की होटल को दूर्भावनावश हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट की होटल की भूमि नगर पालिका पोकरण के क्षेत्र में आती है, जिसका भू रूपान्तरण नगरपालिका पोकरण के द्वारा किया गया है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा आलोच्य आदेश में अपीलांट को पूर्व में खेती करना और दूसरी बार अतिक्रमण करना बताया गया है जबकि भूमि व्यवसायिक है जिसका सपरिवर्तन नगर पालिका पोकरण द्वारा किया गया है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु 14 प्रकरण दर्ज होना बताये गये है। जिनमें 14वें नम्बर पर अपीलांट का नाम लिखकर उसी के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है, जो दूर्भावनावश की गयी है। अपीलांट द्वारा उक्त कथन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट अधिवक्ता को सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावनावश कार्यवाही की गयी है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। विवादग्रस्त भूमि से लगती हुयी अपीलांट की व्यवसायिक भूमि है जिस पर होटल निर्मित है, जिसकी पैमाईश हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा पारित आदेश के क्रम में गठित टीम के द्वारा पुख्ता पोईन्ट से पैमाईश किये जाने पर ग्राम बिलिया सड़क पर निर्माणाधीन कार्य व पौधे, फैन्सिंग ख.न. 1868/1124 में स्थित होना माना गया है। अपीलांट के द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षो की बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्यनन किया गया। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2025 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पोकरण को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध मे पुनः मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच एवं पुनः सीमांकन की कार्यवाही, अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत नये सिरे से विधिवत् आदेश पारित करे। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर